विविध बैंक प्रकरण सं0 37/2020 (RCMS 2020/00091) मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा– प्रेम नगर, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम 1 नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री परमानन्द निवासी 180 बी, गली नं. 04, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर 2. श्री परमानन्द पुत्र श्री मुंशीराम निवासी 180–बी, गली नं. 04, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 06.03.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण नरेन्द्र कुमार एवं परमानन्द को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 27.11.2017 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी परमानन्द की अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 180 बी (पूर्व मुखी), (क्षेत्रफल 15'गुणा 50') गली नं. 04, सेतिया कॉलोनी, चक 1–ए छोंटी, मुरब्बा नम्बर 54/44, किल्ला नं. 12, श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 16.08.2019 को 10,29,245/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 20.08.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

से दिनांक 20.08.2019 को भिजवाये गये है जिसके परिणामस्वरूप पत्रावली में पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईनमैंट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है । इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी परमानन्द द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पति रिहायशी प्लॉट नं. 180 बी (पूर्व मुखी), (क्षेत्रफल 15'गुणा 50') गली नं. 04, सेतिया कॉलोनी, चक 1—ए छोंटी, मुरब्बा नम्बर 54/44, किल्ला नं. 12, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** नरेन्द्र कुमार एवं परमानन्द को 10.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.11.2017 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी परमानन्द की उक्त अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 180 बी (पूर्व मुखी), (क्षेत्रफल 15'गुणा 50') गली नं. 04, सेतिया कॉलोनी, चक 1—ए छोंटी, मुरब्बा नम्बर 54/44, किल्ला नं. 12, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **28.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.08.2019 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिसकी रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थीगण नरेन्द्र कुमार एवं परमानन्द को धारा 13(2) के नोटिस तामील हो चुके है और परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल **सम्पत्ति** रिहायशी प्लॉट नं. 180 बी (पूर्व मुखी), (क्षेत्रफल 15'गुणा 50') गली नं. 04, सेतिया कॉलोनी, चक 1—ए छोंटी, मुरब्बा नम्बर 54/44, किल्ला नं. 12, श्रीगंगानगर जो ऋणी परमानन्द के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.08.2019 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.08.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण नरेन्द्र कुमार एवं परमानन्द को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.08.2019 को जारी किये गये है, परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थीगण नरेन्द्र कुमार एवं परमानन्द को धारा 13(2) की तामील के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी परमानन्द की अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 180 बी (पूर्व मुखी), (क्षेत्रफल 15'गुणा 50') गली नं. 04, सेतिया कॉलोनी, चक 1—ए छोंटी, मुरब्बा नम्बर 54/44, किल्ला नं. 12, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03..2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी परमानन्द द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 180 बी (पूर्व मुखी), (क्षेत्रफल 15'गुणा 50') गली नं. 04, सेतिया कॉलोनी, चक 1—ए छोंटी, मुरब्बा नम्बर 54/44, किल्ला नं. 12, श्रीगंगानगर का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर